फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर, (SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री माना — **विपक्षी : श्री इन्द्रसिंह**

किस्म मुकदमा – 212 रा.का. अधिनियम — **पत्रावली संख्या : 85/21**

जीसीएमएस : 2021/278

कमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 28.01.2025	

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। विपक्षी संख्या 1, 2 के जवाब का अवसर पूर्व में बन्द किया जा चुका हैं। विपक्षी संख्या 3 से 10 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि मौजा जावड पटवार हल्का जावड तहसील मावली हाल घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के खाता संख्या 372 पर दर्ज आराजी नम्बर 1610 रकबा 0.4613 हेक्टेयर भूमि वर्तमान में प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 1 से 8 के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि प्रार्थीगण द्वारा बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया हैं। उसी के साथ यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। चूंकि वाद बंटवाडे का होने से यदि विपक्षीगण को रोका नहीं जाता है एवं विपक्षीगण मौके पर नया निर्माण कार्य कर लेते है तो इससे प्रार्थीगण के हक अधिकारो पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा तथा प्रकरण में अनावश्यक पैचिदगीया उत्पन्न होगी। चूंकि सहखातेदारी की भूमि पर प्रत्येक इंच पर प्रत्येक सहखातेदार का कब्जा माना जाता हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र न्यायहित में आंशिक स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार किया जाता है कि मौजा जावड पटवार हल्का जावड तहसील मावली हाल घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के खाता संख्या 372 पर दर्ज आराजी नम्बर 1610 रकबा 0.4613 हेक्टेयर भूमि में विपक्षीगण मूल वाद के निस्तारण तक मौके की यथास्थिति बनाये रखे। किसी प्रकार का नया निर्माण कार्य नहीं करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.05.26 11:57:10 IST
Reason: SelfAttested